संख्या-36 /40-2026 /002-27-75-84टी0सी0-II,

प्रेषक,

एस0वी0एस0 रंगाराव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को अनुदान की द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-2197/एकीकरण, दिनांक 21-01-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया, मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को मौलाना आजाद साहित्य से सम्बन्धित उर्दू, वाचनालय, प्रालेखय केन्द्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षण के लिए ठोस प्रयास करने, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने आदि कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 7,50,000/(रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**6/2025/बी-1-352/दस-2025-** 231/2025, **दिनांक** 27 **मार्च,** 2025 में निहित व्यवस्था के अनुसार अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं;-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की अधिसूचना संख्या-822/चालीस-14-27(75)/84, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत नियमावली में उल्लिखित उद्देश्य एवं प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अकादमी नियमावली में उल्लिखित अनुदान की शर्तो का पालन कर रही है। इस हेतु वित्त विभाग के संगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान का भुगतान जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त संस्था को स्थापित किया गया है उनकी पूर्ति हो।

(3) संस्था को स्वीकृत की जा रही धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ कोषागार से आहरित करेंगे तथा संस्था को धनराशि भुगतान करने से पूर्व संस्था से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि संस्था द्वारा उसी प्रयोजन हेतु आलोच्य वर्ष में किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है, और न ही प्राप्त करेगी।

(4) धनराशि आहरण के उपरान्त कोषागार से धनराशि निकालने की वाउचर संख्या व दिनांक तथा संस्था को भुगतान किए जाने की तिथि से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 053 **लेखा**

Scanned with OKEN Scanner